


PARAMEDICAL TECHNICIAN ONE YEAR CERTIFICATE COURSE

APPLICATION FORM 2017



PARAMEDICAL TECHNICIAN ONE YEAR CERTIFICATE COURSE

Duration : One years

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1- Application forms will be accepted only by Registered post / Speed post / Simple post at the Office of Director Paramedical Course, Directorate Medical Education, Near Mantralaya Purana Nursing Hostel, Raipur (C.G.) 'कूरियर स्वीकार्य नहीं किये जायें'

2- Sale of Application forms :-

(i) Office of Director Paramedical Course, Director Medical Education, Mantralaya Parisar, Purana Nursing Hostel, Raipur (C.G.) Contact - Ph.: 0771-2236379

(ii) Civil Surgeon or Paramedical Course Co-ordinator / In charge, District Hospital

(1) Ambikapur (2) Durg (3) Jagdalpur (4) Bilaspur (5) Raigarh (6) Rajnandgaon,

on Payment of 300/- Rs. Cash / Demand Draft payable to "Dirctor Paramedical Course, Raipur".

Application Form shall be available upto 01 Dec. 2017 Last date for submission of Application form is

06 Dec. 2017 Incomplete or wrongly filled application forms will be rejected.

3- कौंसिलिंग की संभावित तिथि (परिवर्तनीय)

Time :- 8.30 AM, सभागार पं. ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

Counseling Details :-

14 Dec. 2017 (Thrusday)

Un Reserved Category (अनारक्षित श्रेणी)

15 Dec. 2017 (Friday)

ST Category (अनुसूचित जनजाति)

16 Dec. 2017 (Saturday)

SC Category (अनुसूचित जाति)

17 Dec. 2017 (Sunday)

OBC Category (अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं UR की सीट यदि शेष बची हो तो

कृपया दिनांक 9 दिसंबर 2017 नवभारत समाचार पत्र, 11 दिसंबर 2017 दैनिक भास्कर समाचार पत्र में कौंसिलिंग तिथि सूचना देखें। सूचनानुसार उपस्थित होकर आबंटन एवं प्रवेश लें।

वेबसाईट www.cgdme.co.in में भी काउंसिलिंग सूचना तथा प्राविण्य सूची 10 दिसंबर 2017 से देख सकेंगे।

नोट : UPC (युपीसी) की सुविधा डाक विभाग द्वारा बंद किये जाने के कारण प्रेषित करने का रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण कॉल लेटर प्रेषित नहीं किये जायेंगे। उपरोक्त सूचनानुसार प्राप्तांक के आधार पर कौंसिलिंग में उपस्थित हों। प्राविण्य सूची की जानकारी हेतु फोन नं. 0771-2236379 पर संपर्क कर सकते हैं। रायपुर कार्यालय में 10 दिसंबर 2017 को मेरिट लिस्ट चस्पा कर दी जायेगी।

4- At the time of Counseling student will have to submit following original documents and one self attested photocopy.

- Mark sheet of 10th class examination. (as a proof of date of birth)

- Mark sheet of 12th class examination.

- Domicile Certificate
- Certificate from the prescribe Authority for the Candidate seeking admission under the reserved categories (S.T./S.C./O.B.C.) and Reserved Class (Physically Handicapped / Freedom Fighter / Sainik)
- Affidavit to show that candidate is not persuating any other course or joined any institution and during the one year paramedical course admitted candidate can not join any other course/Institution.

NOTE :- Along with application form only Photocopy of 12th class mark sheet (attested by Gazetted officer) should be enclosed. No other document is required.

Form without photocopy of 12th class mark sheet will be objected. but during counseling after removal of objection candidate shall be placed in merit list.

- 5- If the candidate opts any course he will pay 3700/- (Three Thousand Seven Hundred Rs.) Cash / Demand Draft payable to Director Paramedical Course, Pt. J.N.M. Medical College, Raipur at the time of counseling this amount will be 1000/- (One Thousand Rs.) for S C & S T Category Reserved seat.
- 6- **Selected student will have to pay fee immediately after allotment of subject and Centre. Fee is Rs.3700/- (for SC/ST Reserved seat student – Rs. 1000/-)**
- 7- Selected student will have to join the course within last date as per PRAVESH PATRA. If a candidate fails to do so, his/her admission can be cancelled. No refund will be done in case of cancellation of admission. Admission of the session will be over on 31st December 2017.

CURRICULUM

The duration of course will be one year. This will be followed by one month (optional) internship.

ATTENDANCE

Minimum 75% attendance in theory and 80% attendance in practical classes are essential for appearing in examination.

**TABLE No. 1:- DISTRIBUTION OF SEATS
PARAMEDICAL TECHNICIAN COURSES**

NAME OF CENTRE	1) Raipur	2) Bilaspur	3) Raigarh	4) Jagdalpur	5) Ambikapur	6) Durg	7) Rajnandgaon
Pathology	20	20	20	20	20	20	20
X - Ray	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL	40	40	40	40	40	40	40
GRAND TOTAL = 280							

नोट :- यह विशुद्ध एक वर्षीय टेक्नशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका निजी संस्थाओं अथवा शासकीय संस्थाओं के पदों की संख्या अथवा उपलब्धता इत्यादि से कोई संबंध नहीं है।

SEAT AND CENTRE

Total 280 seats are available in Seven centres of the State. (Distribution of seats as per Table No - 1). Allotment of seats Subject wise and centre wise will be done by counseling strictly according to merit.

RESERVATION

(as per C.G. Govt. Rule)

12% of seats are reserved for SC category, 32% seats are reserved for ST category and 14% seats are reserved for OBC (except the creamy layer) category.

There will be 30% Horizontal reservation for Female candidates in all category.

There will be 3% Horizontal reservation for Sainik, 3% Horizontal reservation for Freedom Fighter, 3% Horizontal reservation for Physically Handicapped in all category. After the fulfillment of seats totally in the Horizontal reserved seats for the candidates of Handicapped, Freedom Fighter, Sainik & Female Class. The eligible candidates (who are having required certificate for horizontal reservation) of available class shall be placed at proper merit number of No class on the basis of merit in their own category.

In case eligible candidates to the extent of reservation in any reserved category are not available the vacant seats shall be filled by converting them into other category as follows:-

The vacant seats of ST category shall be filled from SC candidates. Similarly the vacant seats of SC category shall be filled from ST candidates. In case eligible candidates to the extent of reservation in both ST and SC categories are not available, the vacant seats shall be filled from OBC category candidates. In case eligible candidates to the extent of reservation are not available in OBC category, vacant seats shall be filled from ST candidates, and in case eligible ST candidates are not available from SC candidates. In case eligible candidates are not available under all these three reserved categories in the above manner, the vacant seats shall then be filled from unreserved category candidates.

The vacant seats of Handicapped, Freedom Fighter, Sainik, & Female Class of any category shall be converted in to No class of same category.

ELIGIBILITY CRITERIA

- I- The candidate must be a bonafide resident of Chhattisgarh State as defined by Government of Chhattisgarh.
- II- Candidate must have passed 12th class Examination under 10+2 system with Biology, Physics & Chemistry.
- III- Age – Minimum 17 yrs. On 31st December of the admission year (Date of birth as in H.S.S. mark sheet.)
- IV- Candidate must be medically fit. If required he/she will have to appear before a Medical Board constituted for this purpose by the Directorate.

SELECTION PROCEDURE

Selection of the candidate will be done by counseling strictly on the basis of academic merit of the candidate determined by marks obtained at qualifying examination. In case more than one has same marks then preference will be given to the candidate having higher marks in Biology. If merit of the candidate cannot be decided by this criteria also, then preference will be given to older candidate.

PAYMENT OF FEE

- 1- Total fee for the course is Rs. 3700/- (Admission fee - Rs. 1000 + Tuition fee - Rs. 2700/-) and For SC / ST Reserved seat candidate the tuition fee will be exempted. They will pay only admission fee Rs. 1000/- at the time of Counseling.
- 2- The student will have to pay other fee like examination fee (Rs. 500/-), Identity card and cycle stand etc. as applicable.
- 3- Candidate belonging to SC & ST category Reserved seat will be exempted from payment of tuition fee. They will have to pay only admission fee Rs. 1000/-.

NOTE :- Fees once paid will not be refunded in any circumstances.

DISCIPLINARY CONTROL

Student will be under the disciplinary control of the Head of the Institution and the Director paramedical courses. Admission of any student can be cancelled during the course, if the conduct of the student is not found satisfactory. Refund of fee will not be allowed in the event of cancellation of admission for any reason.

RIGHT TO MAKE RULES

Autonomous Society (Office of Director Paramedical Course Raipur) will have right to make new rules and amend the existing rules at any time during the course.

प्रारूप - (अ)

प्रमाण पत्रों के प्रारूप

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला

छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक प्रकरण क्रमांक

प्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता/पति का नाम निवासी ग्राम/नगर
पटवारी हल्का नं. वि. खं. तहसील

जिला संभाग जाति/जनजाति/का/की सदस्य है और इस
जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ (म.प्र.) राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में
विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति
(संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ (म.प्र.) की सूची में अनुक्रमांक पर
अंकित है, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम
..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी
के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये है।

दिनांक

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

(सील)

टिप्पणी :-

- (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ (म.प्र.) राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ (म.प्र.) राज्य से संबंधित जनजाति।
- (2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर / अतिरिक्त कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उप संभागीय मजिस्ट्रेट/सीटी मजिस्ट्रेट/ (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी, वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना। यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जाँच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जाये, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

अस्थायी प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक

पत्र क्रमांक

प्रकरण क्रमांक

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पिता/पति का नाम निवासी ग्राम/नगर

पटवारी हल्का नं. तहसील जिला संभाग

जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ (म.प्र.) राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह

जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ (म.प्र.) की सूची में अनुक्रम

पर अंकित है, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी

पिता/पति का नाम अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी

के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

(सील)

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिए वैध रहेगा।

प्रारूप - 2 (अ)

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण - पत्र

अस्थायी/स्थायी प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक
प्रमाण पत्र क्रमांक प्रकरण क्रमांक

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री
आत्मज श्री निवासी ग्राम
जिला संभाग छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो जाति
के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ (म.प्र.) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की
अधिसूचना क्र. एफ. 8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़
के जिला संभाग में निवास करता है व छत्तीसगढ़
राज्य में दिनांक को प्रवजन कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्रीमीलेयर
(सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्र.
360/2122/93/स्था. (एस.सी.टी.) ए दिनांक 08-09-93 द्वारा जारी सूची में कालम - 3 में तथा छत्तीसगढ़ (म.प्र.) शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप. क्रमांक एफ. 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की
अनुसूची के कालम (1) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी
के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये है।

दिनांक :

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिए वैध रहेगा।

नोटरी के समक्ष दिये गये शपथ पत्र (एफिडेविट) का प्रारूप

(10/- रु. के स्टॉप पेपर में प्रस्तुत किया जाये)

मैं (नाम) आत्मन/आत्मजा/

पत्नी निवासी

तहसील जिला

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा प्रवेश पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में होता है, तो उस एक वर्ष की अवधि में, मैं किसी अन्य पाठ्यक्रम अथवा कोर्स में प्रवेश नहीं लूंगा/लूंगी। यदि मैंने ऐसा किया तो कोर्स संचालक को अधिकार होगा कि वे मेरा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त कर दें या आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम -

नोटरी के हस्ताक्षर -

साक्षी (गवाह) 1.

2.

वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र

क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री

आपका/आपका/पत्नी निवासी

तहसील व जिला छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, क्योंकि वह -

1. छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है।
 - (क) वह, अथवा
 - (ख) उसके पालकों में से कोई,
 - (ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक गार्जियन छत्तीसगढ़ में
अथवा
2. इसके पालकों में से कोई भी -
 - (क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी हो।
अथवा
 - (ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी हो, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत हो,
3. (क) वह स्वयं
अथवा
(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखने हों। परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करना हो।
 4. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की हो, अथवा उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हो, अर्थात्
 - (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या आठवीं कक्षा की परीक्षा।
 - (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडियट, हायकर सेकेण्डरी या कोई और सम्पकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो तो आठवीं कक्षा की परीक्षा।
 - (ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा।
 5. (क) छत्तीसगढ़ राज्य को आर्बांटेड अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संतान एवं पत्नी।
(ख) छत्तीसगढ़ राज्य के शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की संतान एवं पत्नी।
(ग) शासन द्वारा वर्तमान में निर्धारित छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की पत्नी।
(घ) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधि पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की संतान तथा उनकी पत्नी प्रदेश के स्थानीय निवासी माने जायेंगे।

टीप - जो अंश लागू न हो उसे काट दिया जावे।

प्राधिकृत अधिकारियों के नाम

.....

पदनाम एवं सील

क्रमांक

दिनांक

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अध्यक्षी का नाम) श्री/सुश्री (अध्यक्षी के पिता/माता का नाम) के/की वैध संतान है, जो श्री श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध संतान है।

2. श्री/सुश्री (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला (जिले का नाम) में संघारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक पर पंजीकृत है।

स्थान

हस्ताक्षर कलेक्टर

दिनांक

(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

प्रारूप - 6

सैनिक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व के पदनाम सहित, जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

प्रारूप - 7

जिला/संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में विकलांगता प्रमाण पत्र (निचले अंगों की 40 % से 70 % विकलांगता मान्य होगी) प्रस्तुत करना होगा।

भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) के मानकों के अनुसार निम्नलिखित अशक्तताएँ (विकलांगताएँ) पात्र नहीं हैं।

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) ऊपरी अंग की विकलांगता | 2) दृष्टि बाधित विकलांगता |
| 3) बहिरीय विकलांगता | 4) निचले अंग की 70 % से अधिक विकलांगता |

ABBREVIATION

ABBREVIATION	FULL FORM
UR	Unreserved (अनारक्षित)
SC	Scheduled Caste (अनुसूचित जाति)
ST	Scheduled Tribe (अनुसूचित जनजाति)
OBC	Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)
S	Sainik (सैनिक)
FF	Freedom Fighter (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)
H	Handicapped (विकलांग)
GEN	General (सामान्य)
CAT	Category (श्रेणी)
Class	Class (संवर्ग)
M	Male (पुरुष)
F	Female (महिला)

- नोट :-**
1. सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार श्रेणी (Category) के कॉलम में UR लिखें।
 2. Handi, F.F. & Sainik संवर्ग के उम्मीदवार संबंधित दस्तावेज होने पर ही इस संवर्ग के आवेदन भरें। चूंकि आवेदन पश्चात संवर्ग परिवर्तन नहीं हो सकेगा एवं दस्तावेज के अभाव में अपात्र हो जायेंगे तथा आबंटन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। किसी भी आबंटन योग्य नहीं रहेंगे। संबंधित प्रमाण पत्रका प्रारूप देखें।

आवेदन पत्र में निम्न दस्तावेज भेजें

1. आवेदन फार्म
2. बारहवीं अंकसूची की अभिप्रमाणित फोटोकॉपी

- नोट :- 1) कौंसिलिंग में UR/OBC रू. 3700 /- एवं SC/ST आरक्षित सीट 1000 /- रू. फीस पटाने पर ही प्रवेश ले सकेंगे। (देखें बिन्दू क्र. 5 एवं 6)
- 2) Handi, F.F. & Sainik संवर्ग के उम्मीदवार संबंधित दस्तावेज होने पर ही इस संवर्ग के आवेदन भरें। चूंकि आवेदन पश्चात संवर्ग परिवर्तन नहीं हो सकेगा एवं दस्तावेज के अभाव में अपात्र हो जायेंगे तथा आबंटन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। किसी भी आबंटन योग्य नहीं रहेंगे। संबंधित प्रमाण-पत्र प्रारूप भी देखें।
- 3) कोरियर से आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। अतः डाक विभाग द्वारा रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट या सामान्य डाक से ही आवेदन प्रेषित करें।
यदि आपका आवेदन त्रुटिपूर्ण भरा गया है एवं रिजेक्ट होने की संभावना है तो नया आवेदन पत्र त्रुटि सुधारकर प्रेषित करें।